संख्या-143/2018/1912(1)/71-1-2018-जी0-290/2017टीसी०2

प्रेषक,

डा0 रजनीश दुबे
प्रमुख सचिव
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण
उ0प्र0 लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 **लखनऊ : दिनांक 23 मई, 2018**

विषय:- राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर, आगरा , मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद एवं झांसी में नान पी०जी० जूनियर रेजिडेन्ट के पदों का सृजन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-एम0ई0-3/2018/866, दिनांक 19.04.2018 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश के 06 पुराने राजकीय मेडिकल कालेजों में एम0सी0आई0 के यू0जी0 एवं पी0जी0 मानको के अनुसार चल रहे पाठ्यक्रमों की मान्यता हेतु एवं मरीजों को गुणवत्ता पूर्ण उपचार सुविधा उपलब्ध करायें जाने हेतु राजकीय मेडिकल कालेज, गोरखपुर में 63, आगरा में 68, मेरठ में 98, कानपुर में 140, इलाहाबाद में 81, एवं झांसी में 34 नान पी०जी०जूनियर रेजिडेन्ट के कुल 484 अस्थायी पदों को नियत वेतनमान रूपया 63000/- प्रतिमाह में सृजित करते हुए दिनांक 28.02.2019 तक बशर्ते कि इसे बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय, चलते रहने की राज्यपाल महोदय निम्नांकित प्रतिबंधो एवं शर्तो के अधीन सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

(1) सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्राचार्य द्वारा सृजित नान पी०जी० जूनियर रेजिडेन्ट के पदों के सापेक्ष विभागवार पदों का आवश्यकतानुसार बंटवारा करते हुए प्रस्ताव महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण के माध्यम से शासन को स्वीकृतार्थ भेजा जायेगा ।

(2) सृजित पदों के सापेक्ष अभ्यर्थियों के चयन हेतु संबंधित प्राचार्य द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र यथावश्यकता प्रतिमाह आमंत्रित किए जायेंगे।

(3) अभ्यर्थियों का चयन पूर्णतया उनके द्वारा एम0बी0बी0एस0 पाठ्यक्रम में प्राप्त अंको के आधार पर होगा तथा साक्षात्कार में कोई अंक नहीं दिए जायेंगे, मात्र अभिलेखों का सत्यापन तथा अभ्यर्थियों का सामान्य परीक्षण किया जाएगा ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(4) नान पी0जी0 जूनियर रेजीडेन्ट पद पर अभ्यर्थी का चयन एक वर्ष के लिए किया जाएगा तथा वह आगामी वर्ष में अन्य अभ्यर्थियों के साथ आवेदन प्रक्रिया में सम्मिलित हो सकता है, परन्तु नान पी0जी0 जूनियर रेजीडेन्ट के रूप में एक छात्र की कुल सेवायें अधिकतम तीन वर्ष की होगी।

(5) नान पी0जी0 जूनियर रेजीडेन्ट के पद केवल क्लीनिकल विषयों में ही स्वीकृत किये जायेंगे।

2- इस संबंध में होने वाला व्ययभार राजकीय मेडिकल कालेज गोरखपुर, आगरा , मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद एवं झांसी के सुसंगत ईकाइयों के नामे डाला जायेगा।

(डा0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या:-143/2018/1912 (2)/71-1-2018- तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद ।
2- वित्त नियंत्रक, महानिदेशालय चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ0प्र0 लखनऊ।
3- प्रधानाचार्य, मेडिकल कालेज, गोरखपुर, आगरा, मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी।
4- कोषाधिकारी, गोरखपुर, आगरा , मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी।
5- वित्त नियंत्रक, मेडिकल कालेज, गोरखपुर, आगरा , मेरठ, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी।
6- नियोजन अनुभाग-4
7- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2, वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
8- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(शमीम अहमद खान)
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in